देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/44 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 26 जून 2024

जेडीए ने खबर पर लगाई मुहर!!!
रसुखदार के बन रहे अवैध रेस्टोरेंट को जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने किया सील!!

जेडीए के जोन 7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 145 ऑफिसर्स केम्पस,सिरसी रोड,पर बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए,हो रहे व्यवसायिक निर्माण का था मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या था जेडीए के जोन 7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 145 ऑफिसर्स केम्पस,सिरसी रोड पर बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए, हो रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण का मामला?

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार www.jawabdosarkar.com देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

बुधवार, 26 जून 2024

E-Newsletter, Issued in Public Interest

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/44

जेडीए की मॉनिटरिंग फेल!!

बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर हो रहा अवैध व्यवसायिक निर्माण!!

सिरसी रोड और जनक मार्ग के तिराहे पर अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के चलते, जहां एक और JDA को लाखों रुपयों के राजस्व की हानि!!

वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी हो रही अवहेलना!!

जेडीए के जोन 7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 145 ऑफिसर्स केम्पस,सिरसी रोड,पर बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए,हो रहे व्यवसायिक निर्माण का मामला!!

पेज 1

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

जैसा कि आपको बताया गया था कि जेडीए के जोन 7 मे स्थित 400 वर्ग गज के आवासीय भूखंड संख्या 145 ऑफिसर्स केम्पस,सिरसी रोड पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना सक्षम स्वीकृति के विशालकाय रेस्टोरेंट का निर्माण करवाया जा रहा है|

इस मामले मे जेडीए की प्रवर्तन शाखा के जोन प्रवर्तन अधिकारी सुरेन्द्र सैनी द्वारा मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महेंद्र शर्मा के निर्देशन मे आज इस अवैध निर्माण को सील कर,जोन मे अवैध बिल्डिंग बना रहे अवैध निर्माणकर्ताओ को सख्त संदेश दिया है|आपको बता दें कि पिछले दिनों कई ट्रांसफरो के चलते, इस मामले मे कार्यवाही नहीं हो पा रही थी,इसी बीच अवैध निर्माणकर्ता द्वारा भी लगातार जेडीए के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था लेकिन आज इस कार्यवाही ने जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की आलोचना करने वालों को मानो जवाब दे दिया है कि अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत मे बक्शा नहीं जाएगा|इस कार्यवाही के बाद जोन 7 मे अवैध निर्माण करने वालों मे मानो दहशत बैठ गई है और जो अवैध निर्माणकर्ता यह सोच रहे थे कि जेडीए तो उनकी मुट्ठी मे है,अब नियम से ही काम करने की सोच रहे है|यह कार्यवाही करने वाले जोन के प्रवर्तन दस्ते के सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र है|

जोन– 07

सिरसी रोड आफिर्सस कैम्पस के भूखण्ड संख्या 145–146 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावासयिक प्रयोजनार्थ सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर किये गये अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही।

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 12.09.2024 को जोन–10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सिरसी रोड आफीर्सस कैम्पस के भूखण्ड सख्या 145–146 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक वायलॅाज का गम्भीर उल्लघंन कर टीनसेड लगाकर अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नही हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा–34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 12.09.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय–खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–07 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।